दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

वृहस्पतिवार, 18 मार्च, 2004/फाल्गुन 28, 1925 (शक)

संख्या : 26

1. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तीसरी विधान सभा के प्रथम सत्र के दूसरे भाग का पुन:आरम्भ:**

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तीसरी विधान सभा के पहले सत्र का दूसरा भाग **बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 2004 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारंभ होगा ।**

2. **पहले सत्र के दूसरे भाग के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटन:**

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 24 एवं 25 मार्च,2004 के लिए निर्धारित की गई हैं ।

3. **विधान सभा की बैठकों का समय:**

जब तक अध्यक्ष अन्यथा आदेश न दें, विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2.00 बजे प्रारंभ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये।

4. **प्रश्नकाल नहीं होगा**

इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा ।

5. **नियम 280 के अनतर्गत विशेष उल्लेख:**

जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते है, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है ।

सदस्यों से अनुरोध है किया जाता है कि वे **विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें** और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ हीं पढ़ें । विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए । सचिवालय विभाग को प्राय: उल्लेख के पाठ को हीं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजता है ।

6. **सूचनाओं की प्रक्रिया**

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम -258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार से है:-

(i) नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि

इस प्रयोजन के लिये शनिवार,रविवार या सार्वजनिक छुटटी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा।

(ii) सूचना कार्यालय में उप नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेगी ।

(ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिये और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिये । **नोटिस कार्यालय कमरा नंबर-46 (स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय से आगे)** स्थित है ।

(ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिये गये सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है ।

(घ) विधान सभा के नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिये उत्तरदारयी है । अतएव सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें । यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

(च) नोटिस कार्यालय कार्यालय समय के दौरान खुला रहेगा ।

7. दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व कार्य दिवस को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं । उदाहरणार्थ 24/03/2004 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 23/03/2004 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे । दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल टेलिफोन आदि सदन के बाहर हीं रखें ।
यदि किसी कारणवश ले आये हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सदन में इनके स्विच बंद रहें ।

सिद्धार्थ राव
सचिव

295

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Thursday 18th March 2004 / 28 Phalgun 1925 (Saka)

No.26

RECONVENING OF THE FIRST SESSION (SECOND PART) OF THE THIRD LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Second Part of The First Session of The Third Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi **will commence on Wednesday, the 24th March, 2004 at 2.00 PM in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi**.

ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING THE FIRST SESSION (SECOND PART):

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for **24th and 25th March 2004.**

TIME OF SITTINGS:

The sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day.

NO QUESTION HOUR:

There shall be no Question Hour during the Session.

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 11.00 A.M. on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PROCEDURE OF NOTICES:

(a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows: -

(i) Every **notice** required by the rules shall be given in writing **addressed to the Secretary** and **signed by the member** giving notice, also **indicating his division number**, and **shall be delivered in the Notice Office** between such hours as

notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.

(ii) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

(b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office. THE NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46 (Adjacent to the Room of the Hon'ble Minister of Health).

(c) All notice delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.

(e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITORS' GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 PM on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 24.3.2004 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e. 23.3.2004. Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE: - CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE. IF SOMEHOW BROUGHT IN THE HOUSE, HON'BLE MEMBERS MAY KINDLY ENSURE THAT THEY ARE KEPT SWITCHED OFF.

Siddharath Rao
Secretary

292